राइट्स लिमिटेड
(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)
RITES LIMITED
(Schedule 'A' Enterprise of Govt. of India)

संख्या: राइट्स/राभा/5/130
दिनांक: 07.04.2026

विषय: राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2026-27 का वार्षिक कार्यक्रम।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए जारी राजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यक्रम (अनुलग्नक **1** - संपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम और अनुलग्न **2** - वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों की सूची (सुलभ संदर्भ हेतु) इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. यह उल्लेखनीय है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए जाने वाले राजभाषायी निरीक्षणों में वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की तुलना में किए गए काम की प्रतिशतता पर गंभीरता से विचार किया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि निगमित कार्यालय के सभी वर्टिकल और समस्त क्षेत्रीय परियोजना व निरीक्षण कार्यालय और परियोजना यूनिट तथा सहयोगी कंपनी आरईएमसीएल राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित प्रयास करें।

3. कृपया वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों के संबंध में दिनांक 09.02.2026 के पत्र सं. संख्या: राइट्स/रा.भा./01/73/2025-2 के माध्यम से जारी किए गए **जांच बिंदु** का भी संदर्भ लें और अपने वर्टिकल/कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वार्षिक कार्यक्रम से अवगत कराएं और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुग्रह करें।

संलग्न: (अनुलग्नक-1) - संपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम - 2026-27
(अनुलग्नक-2) -वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों की सूची (सुलभ संदर्भ हेतु)

मनीष
7/4/2026
(मनीष भटनागर)
मुख्य राजभाषा अधिकारी
एवं महाप्रबंधक/प्रशासन

वितरण:

कार्यकारी निदेशक/वर्टिकल प्रमुख -कार्यनीति एवं निगमित संचार, तकनीकी सेवाएं, एक्सपोटेक, राजमार्ग, शहरी अवसंरचना, मेट्रो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन पोर्ट एव एयरपोर्ट, गुणवत्ता आश्वासन, प्रबंधन सेवाएं, मुख्य लोक अधिकारी, सतर्कता

समूह महाप्रबंधक/महाप्रबंधक- रेल परियोजनाएं, रेलवे विद्युतीकरण, भवन पत्तन एवं विमानपत्तन, राजमार्ग, मेट्रो, सिविल इंजीनियरिंग अभिकल्प एवं सर्वेक्षण, सस्टेनेबिलिटि एवं ग्रीन मोबिलिटी, शहरी अवसंरचना, यातायात आर्थिक, शहरी इंजीनियरिंग(प्रोग्राम मैनेजमैंट सेल), गुणवत्ता आश्वासन, एक्सपोटेक(बीडी), एक्सपोटेक(पीई), रेलवे उपस्कर सेवाएं, रोपवे, सूचना प्रौद्योगिकी, कार्यनीति एवं निगमित संचार,, प्रशासन, निगमित समाजिक दायित्व, कानून, कांट्रेक्ट पॉलिसी सेल,मानव संसाधन, सतर्कता, कंपनी सचिव

कार्यालय प्रमुख-

उत्तर क्षेत्र परियोजना कार्यालय, गुरूग्राम, पूर्व क्षेत्र परियोजना कार्यालय, कोलकाता, पश्चिम क्षेत्र परियोजना कार्यालय-मुंबई
दक्षिण क्षेत्र परियोजना कार्यालय-बेंगलूरू, पूर्व तट क्षेत्र परियोजना कार्यालय-भुवनेश्वर, उत्तर पूर्व क्षेत्र परियोजना कार्यालय- गुवाहाटी

परियोजना यूनिट- अहमदाबाद, रांची, लखनऊ, बिलासपुर, सिकंदराबाद

कार्यालय प्रमुख- उत्तर क्षेत्र- दिल्ली, पश्चिम क्षेत्र-मुंबई, पूर्व क्षेत्र-कोलकाता, दक्षिण क्षेत्र-चेन्नै, मध्य क्षेत्र- भिलाई

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

सचिव/निजी सचिव- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक वित, निदेशक तकनीकी, निदेशक परियोजना, मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आरईएमसीएल

महाप्रबंधक -(आईटी)कृपया राइट्स कर्मचारी पोर्टल पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें.

अनुलग्नक - 2

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2026-27 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 60% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 60%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	80%	55%	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65%	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	70%	60%	35%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%

9. जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक,ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद।	100%	100%	100%
11. वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	100%	100%	100%
13. (i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14. राजभाषा संबंधी बैठकें			
(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक),	
(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	

15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	**100%**	**100%**	**100%**
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	**45%**	35%	25%

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 45%, "ख" क्षेत्र में 30% और "ग" क्षेत्र में 20% कार्य हिंदी में किया जाए ।